

सेन्ट्रल यूपी गैस लिमिटेड



कार्य का नाम:- जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग(11300मी०) , चैनेज 260. 300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम०एम०(5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम०डी०पी०ई० गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक शून्य वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव।

प्रभावित संरक्षित वन भूमि - 0.6215 हे०

प्रभावित वृक्षों की संख्या - शून्य

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

जनपद बरेली

प्रयोक्ता एजेन्सी- सेन्ट्रल यूपी गैस लिमिटेड, बरेली

सम्बन्धित वन प्रभाग - वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act, 1980 for Diversion of fresh forest area

PART - I
(To be filled up by User Agency)**A. General Details****A-1. Project Details**

- (i). Proposal No. : PP/UP/Pipeline/147376/2021
- (ii). Name of Project for which Forest Land is required : Permission for laying of 4" dia CS and 125 mm dia MDPE Gas Pipeline in the same trench along the Bareilly-Shahjahanpur Road HH-30 (Ch. 260.300 to 271.600) for approx 11300mtrs in Kaccha area for CNG/PNG
- (iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : Permission for laying of 4" dia CS and 125 mm dia MDPE Gas Pipeline in the same trench along the Bareilly-Shahjahanpur Road HH-30 (Ch. 260.300 to 271.600) for approx 11300mtrs in Kaccha area for CNG/PNG supply to customers nearby in Distt. Bareilly
- (iv). State : Uttar Pradesh
- (v). Category of the Proposal : Pipeline
- (vi). Shape of Forest land proposed to be diverted : Linear
- (vii). Estimated cost of the Project/Rupees in lacs : 100
- (viii). Area of Forest land proposed for diversion(In Ha.): 0.6215
- (ix). Non-forest land required for this project(In Ha.): 0
- (x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(In years): 30

A-2. Details of User Agency

- (i). Name : CENTRAL UP GAS LIMITED
- (ii). Address 1 : Central UP Gas Ltd, Tm Floor, UPSDC Complex, A-1/4
- (iii). Address 2 : Lucknow, Kanpur
- (iv). State : Uttar Pradesh
- (v). District : Kanpur Nagar
- (vi). Pin : 200024
- (vii). Landmark : Near Sales Tax Office
- (viii). Email address : smdhasat@cupgl.co.in
- (ix). Landline Telephone No. : 512-2582468
- (x). Fax No. : 512-
- (xi). Mobile No. : 9792384455
- (xii). Website (If any) : www.cupgl.co.in
- (xiii). Legal status of User Agency : Private

A-3. Details of Person Making Application

- (i). First Name: Jitendra
- (ii). Middle Name: Nil
- (iii). Last Name: Gautam
- (iv). Gender: Male
- (v). Designation: Manager
- (vi). Address 1: CUGL Pump Near Satellite Bus Stand Bareilly
- (vii). Address 2: Nil
- (viii). State: Uttar Pradesh
- (ix). District: Bareilly
- (x). Tehsil: Bareilly
- (xi). Pin: 243001
- (xii). Landmark: Nil
- (xiii). Email Address: cupgljy@gmail.com
- (xiv). Landline Telephone No.: 0-
- (xv). Fax No.: Nil
- (xvi). Mobile No.: 999639780
- (xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency: 

Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

B. Details of land required for the Project

- 9-1. Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

List of proposal submitted in Past							
S.No	Proposal Status	Proposal No.	Heel File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In-Principle Approval	Date of Final Approval
NIL							

9-2. Details of forest land proposed to be diverted**9-2.1 Details of Divisions involved**

Details of Divisions involved	

Status of Wildlife Clearance

(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone? : No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i). Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area? : No

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Act 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : No

L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency? : Not Applicable

(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted? : Not Applicable

(iii). Reason for not providing Non-Forest Land: Not Applicable

Additional Information Details

Documents		
S.No	Documents	Remarks
1	Area Calculation	Area Calculation
2	Layout	Layout
3	Forest Notification	Forest Notification
4	CA Undertaking	CA Undertaking
5	MPV Undertaking	MPV Undertaking
6	Standard Conditions	Standard Conditions
7	PNGR Authorization	PNGR Authorization
8	Muck Deposition	Muck Deposition
9	Not Commencement of Work	Not Commencement of Work
10	Undertaking for submit the hard copy of PWD Noc at the time of Submitting Hard Copies of Proposal to DM and DRO Office	Undertaking for submit the hard copy of PWD Noc at the time of Submitting Hard Copies of Proposal to DM and DRO Office
11	ETT Undertaking	ETT Undertaking
12	FRA Undertaking	FRA Undertaking
13	EDS Policy	EDS Policy

Print page

क्षेत्रीय वनाधिकारी
धरेली रेंज (बरेली)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

भाग-III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14-	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षकों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	
15-	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग ख में दी गयी सूचना और उपवन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।	
16-	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें	

दिनांक:-

स्थान:-

हस्ताक्षर:-

नाम:-

सरकारी मोहर:-

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17-	टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिश (राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उपवन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणीयों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)	
-----	--	--

दिनांक:-

स्थान:-

हस्ताक्षर:-

नाम:-

सरकारी मोहर:-

भाग—V

(इस वन विभाग के प्रभारी, सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

18-	राज्य सरकार की सिफारिश..... (उपर्युक्त भाग ख या भाग ग या भाग घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणी पर विशिष्ट टिप्पणी की जायें)	
-----	--	--

दिनांक:—

स्थान:—

हस्ताक्षर:—

नाम:—

सरकारी मोहर:—

प्रमाण पत्र

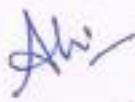
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग(11300मी०) , चैनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम०एम०(5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम०डी०पी०ई० गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधकशून्य..... वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत उ०प्र० शासन के निर्देशानुसार Entire Tree Transplant (ETP) की शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता व्यक्त की जाती है।

हस्ताक्षर


(प्रकाश चन्दारी)
प्रशासकीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।



क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज (बरेली)


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

हस्ताक्षर


(जितेन्द्र गौतम)
प्रबन्धक
सेन्ट्रल यूपी गैस लि०
Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Barcilly

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयगत प्रेषित प्रस्ताव का भली-भाँति परीक्षण कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों नियमों व दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। विषयगत प्रस्ताव में किसी भी बिन्दु पर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

हस्ताक्षर

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज (बरेली)

(लीला भण्डारी)
प्रदेशीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

प्रतिहस्ताक्षरित

हस्ताक्षर

(जितेन्द्र गौतम)
प्रबन्धक
सेन्ट्रल यूपी गैस लि०

Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्य जीव, बरेली वृत्त, बरेली



PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

1st Floor, World Trade Centre, Barakhamba Road, Babar Lane, New Delhi-1
Tel No: 011- 23457700/23457744/23457751

File No: S-Infra/11/1/2008-Vol-II-Bareilly

Dated: April 22nd, 2009

Managing Director
Central UP Gas Limited
7th Floor, UPSIDC Complex
A-1/4 Lakhnau
Kanpur-208024

Subject: - Acceptance of Central Government Authorization for CGD Network - Bareilly Geographical Area

Sir,

This has reference to our letter No: PNGRB/08 Dated 22.10.08 and all other correspondence on this subject including your letter No: CUGL/MD/PNGRB/54 dated April 13, 2009 wherein you have submitted Performance Bank Guarantee for Bareilly CGD Network vide BG No: 003GM01090990003 Dated 19th April 2009 for an amount Rs 6,00,00,000 (Rupees Six Crores).

The Petroleum & Natural Gas Regulatory Board in view of the authorization given by the Central Government vide letter Ref: 16019/11/08-GP dated August 25, 2008, hereby grants exclusivity for 5 years from the date of issue of Performance Bank Guarantee to M/s CUGL for Bareilly CGD Network as requested by CUGL vide letter No: letter No: CUGL/PNGRB/GA-CA/08-09 16th February, 2009, subject to the terms and conditions mentioned below:

- 1) M/s CUGL shall abide by the provisions of the PNGRB Act, 2006² and relevant regulations including amendments thereof and regulations, if any, framed from time to time.
- 2) M/s CUGL shall abide by the Technical Standards and specifications including Safety Standards (T&S) for city and/or Local Natural Gas Distribution Networks Regulations 2008 including the Emergency Response & Disaster Management Plan (ERDMP).
- 3) The CUGL shall abide to Quality of Service standards as per regulations framed under PNGRB Act, 2006.
- 4) M/s CUGL shall abide by the regulations covering exclusivity for marketing of gas from the purview of Contract Carrier & Common Carrier as specified in the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Network) Regulation, 2008.
- 5) The Geographical Area & Charge Area accepted for CGD Network Authorization for Bareilly GA is as per submitted map duly signed by M/s CUGL & PNGRB (Copy enclosed). The project milestones for the above CGD Network development shall be as per Annex-1.

Violation of any condition/conditions mentioned in clauses 1 to 5 shall be treated as default and shall be dealt as per the provisions of the PNGRB Act, 2006.

M/s CUGL shall submit the Network Tariff and Compression Charge for CNG as per the Petroleum & Natural Gas Regulatory Board (Determination of Network Tariff for City or Local Natural Gas Distribution Networks and Compression Charge for CNG) Regulations, 2008 for the approval of the Board separately within 30 days of the issue of this letter.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

(Ratan P. Watal)

Secretary, PNGRB

Encl: a/a

Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

1. Geographical Area (Bareilly) : As per duly sealed & signed MAP-I
2. Charge Area in the given Geographical area with details of year wise coverage in the next five (5) years.

Year	Area as Shown in the Map
Year 2009-10	CA-01, CA-06
Year 2010-11	CA-05, CA-02, CA-13
Year 2011-12	CA-08, CA-10
Year 2012-13	CA-04, CA-03, CA-09, CA-07
Year 2013-14	CA-07, CA-11, CA-14, CA-12

As per duly signed MAP-I

3. Domestic PNG Connections (Year wise Commitment) :

Year	Commissioned as on Date	Additional Domestic Connection (2009-10)	Additional Domestic Connection (2010-11)	Additional Domestic Connection (2011-12)	Additional Domestic Connection (2012-13)	Additional Domestic Connection (2013-14)
No. of domestic PNG connections	Nil	3000	4500	6000	7000	7000

4. Steel Pipeline length in inch-KM (Year wise Commitment) :

Year	Commissioned as on Date	Additional Inch. Km. (2009-10)	Additional Inch. Km. (2010-11)	Additional Inch. Km. (2011-12)	Additional Inch. Km. (2012-13)	Additional Inch. Km. (2013-14)
Steel pipeline in inch Km.	Nil	120.00	48.00	48.00	60.00	60.00

5. CNG Compression Capacity in Kg/Day (Year wise Commitment) :

Year	Commissioned as on Date	Additional Compression Capacity (2009-10)	Additional Compression Capacity (2010-11)	Additional Compression Capacity (2011-12)	Additional Compression Capacity (2012-13)	Additional Compression Capacity (2013-14)
CNG Compression Capacity in Kg/day.	16000	16000	24000	24000	16000	16000

- Non Achievement of any of the above project milestones shall lead to revocation of the Specific Performance Bank Guarantee.
- The period of exclusivity shall start from the date of issue of Specific Performance Bank Guarantee. The Project Milestones as mentioned above shall be on year to year basis from the date of issue of PNG.


Jitendra Gautam
 Manager Projects
 Central U.P. Gas Limited
 Bareilly


 Jitendra Gautam
 Petroleum & Natural Gas Regulatory Board
 1st Floor, World Trade Centre
 4000 16th, New Delhi 110028

BAREILLY CITY GAS DISTRIBUTION

GEOGRAPHICAL BOUNDARY DETAILS

Scale: 1:50,000
 Date: 10/10/2017
 Prepared by: [Signature]
 Checked by: [Signature]
 Approved by: [Signature]

DETAILS OF CHARGE AREA BOUNDARY

Sl. No.	Charge Area Name	Area (Sq. Km)	Area (Acres)	Area (Hectares)
1	CA-01	1.25	308.5	125.0
2	CA-02	1.50	370.5	150.0
3	CA-03	1.75	434.5	175.0
4	CA-04	1.00	246.9	100.0
5	CA-05	1.25	308.5	125.0
6	CA-06	1.50	370.5	150.0
7	CA-07	1.75	434.5	175.0
8	CA-08	1.00	246.9	100.0
9	CA-09	1.25	308.5	125.0
10	CA-10	1.50	370.5	150.0
11	CA-11	1.75	434.5	175.0
12	CA-12	1.00	246.9	100.0
13	CA-13	1.25	308.5	125.0
14	CA-14	1.50	370.5	150.0
15	CA-15	1.75	434.5	175.0
16	CA-16	1.00	246.9	100.0
17	CA-17	1.25	308.5	125.0
18	CA-18	1.50	370.5	150.0
19	CA-19	1.75	434.5	175.0
20	CA-20	1.00	246.9	100.0
21	CA-21	1.25	308.5	125.0
22	CA-22	1.50	370.5	150.0
23	CA-23	1.75	434.5	175.0
24	CA-24	1.00	246.9	100.0
25	CA-25	1.25	308.5	125.0
26	CA-26	1.50	370.5	150.0
27	CA-27	1.75	434.5	175.0
28	CA-28	1.00	246.9	100.0
29	CA-29	1.25	308.5	125.0
30	CA-30	1.50	370.5	150.0
31	CA-31	1.75	434.5	175.0
32	CA-32	1.00	246.9	100.0
33	CA-33	1.25	308.5	125.0
34	CA-34	1.50	370.5	150.0
35	CA-35	1.75	434.5	175.0
36	CA-36	1.00	246.9	100.0
37	CA-37	1.25	308.5	125.0
38	CA-38	1.50	370.5	150.0
39	CA-39	1.75	434.5	175.0
40	CA-40	1.00	246.9	100.0
41	CA-41	1.25	308.5	125.0
42	CA-42	1.50	370.5	150.0
43	CA-43	1.75	434.5	175.0
44	CA-44	1.00	246.9	100.0
45	CA-45	1.25	308.5	125.0
46	CA-46	1.50	370.5	150.0
47	CA-47	1.75	434.5	175.0
48	CA-48	1.00	246.9	100.0
49	CA-49	1.25	308.5	125.0
50	CA-50	1.50	370.5	150.0



LEGEND

CHARGE AREA BOUNDARY LANDCOVER

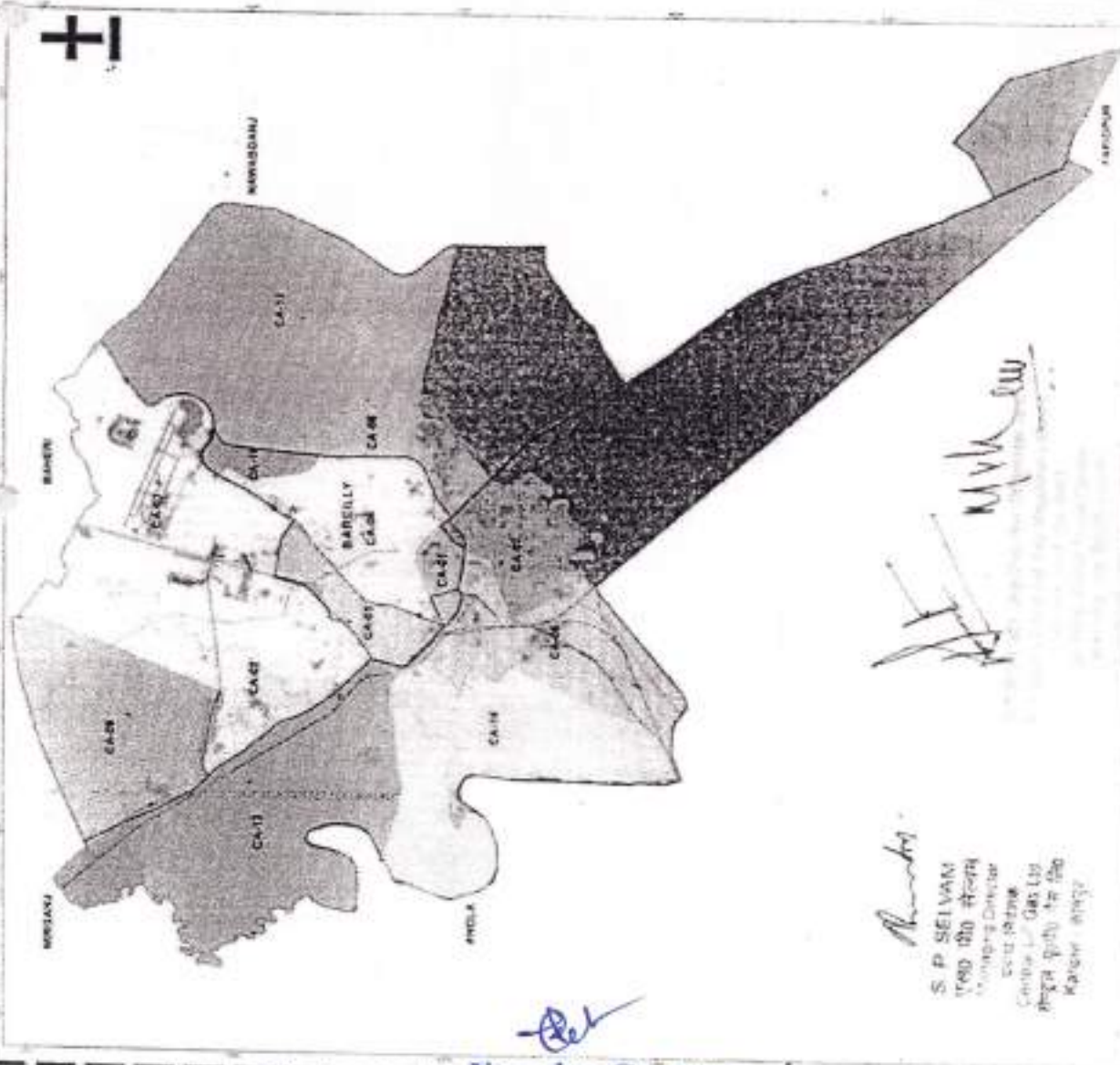
CA-01 to CA-50

VECTOR

CA-01 to CA-50

Geographical Area Boundary

CA-01 to CA-50



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 S. P. SELVAM
 Project Director
 Central U.P. Gas Ltd.
 Bareilly

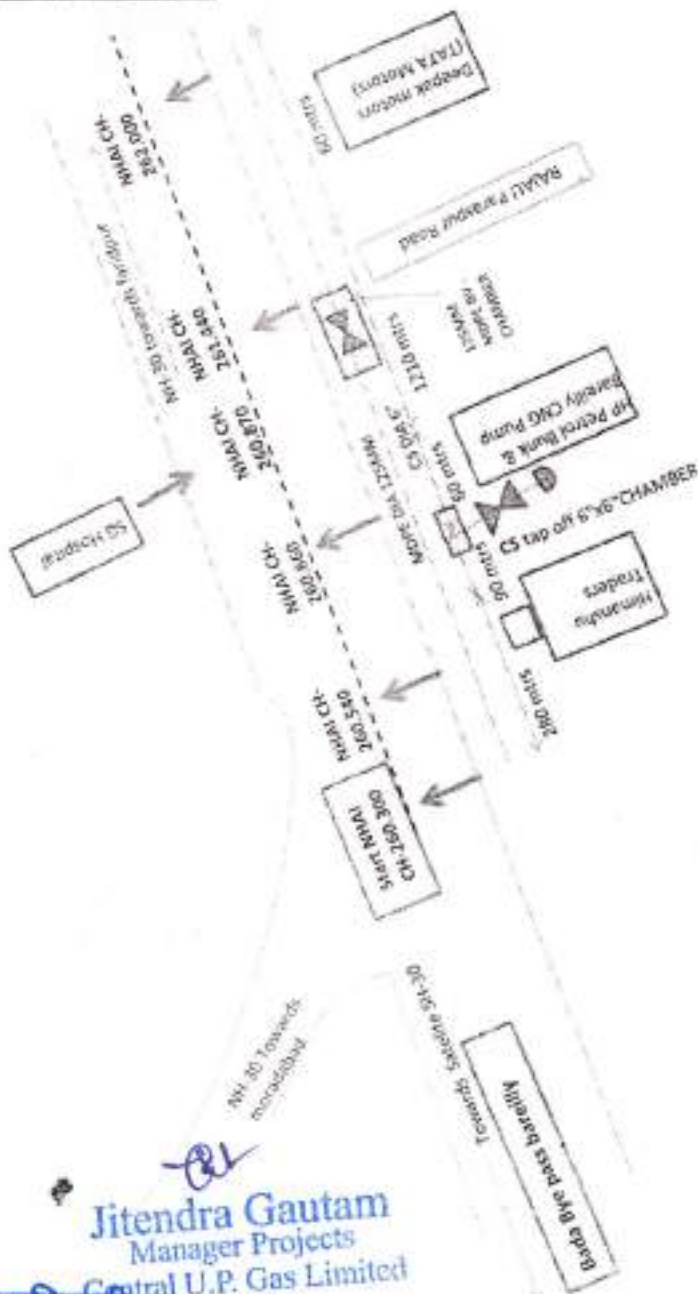
[Handwritten signature]
Jitendra Gautam
 Manager Projects
 Central U.P. Gas Limited
 Bareilly

[Handwritten signature]
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 बरेली रेंज (बरेली)

[Handwritten signature]
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 फरीदपुर रेंज
 बरेली

Bada bypass bareilly to deepak motors (TATA Motors) Pipeline Length approx. 1700M right side along NH-30

PIPELINE SECTION LAYING			
ITEM	FROM ST	TO CH	QTY.
8" DIA LS	260 800	262 000	1700 METRS
2.5MM THICK PLATE	260 800	262 000	1300 METRS
125 MM DIA 8" CHAMBER (1.300.0.5 METRS)	—	261 300	01 NOS.
8" DIA CS TAP OFF CHAMBER (1.300.0.5 METRS)	—	262 800	01 NOS.



Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज (बरेली)

- Notes:-
- 1- Open cut and fill may be differ as per actual site condition during execution.
 - 2- Open cut length - 1700 mtrs
 - 3- Pipeline to be laid in between 28-30 mtrs from divider centre point.

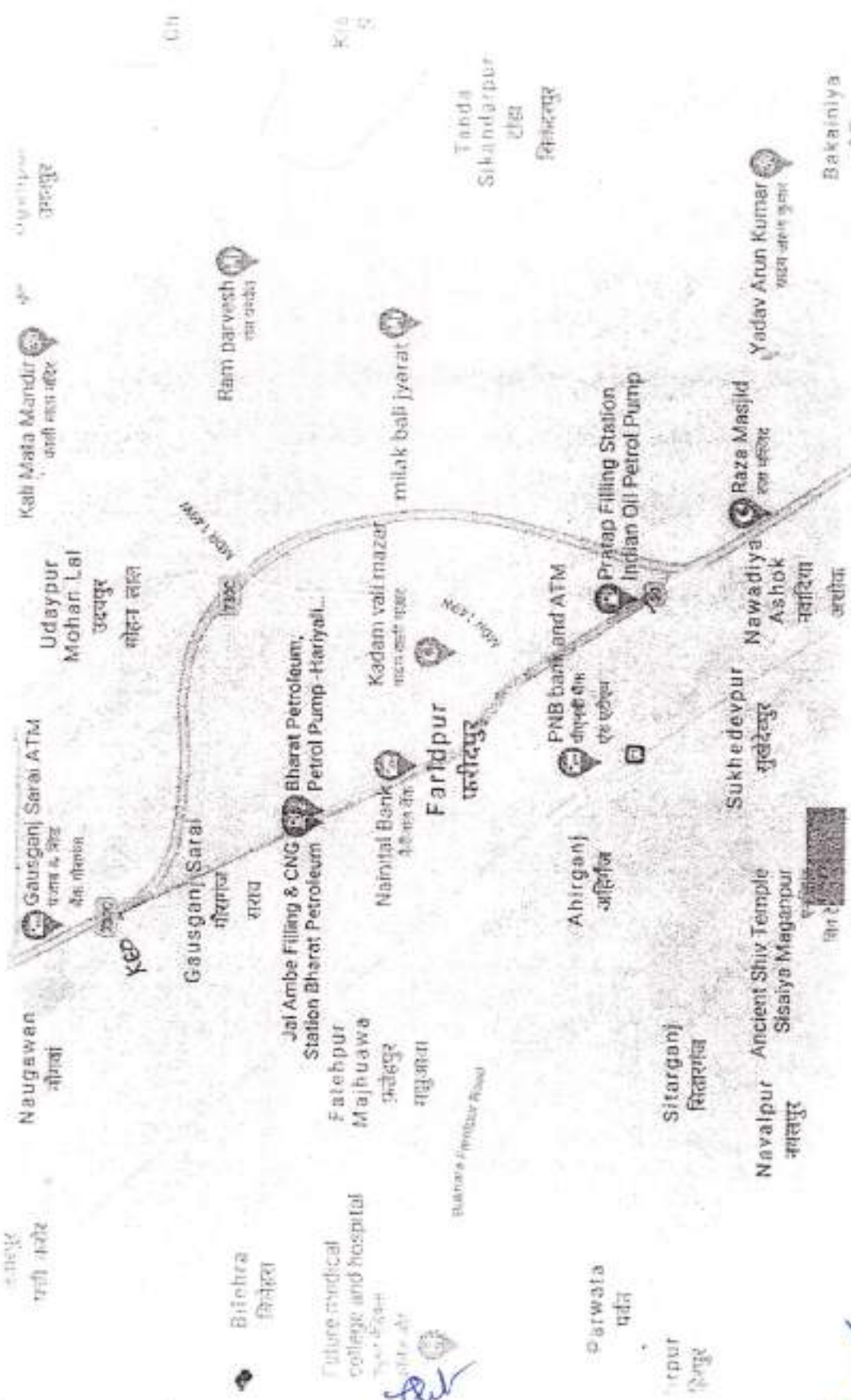
(रीका भण्डारी)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन विभाग, बरेली

(X)

(X)



Total Length - 3500M.
Dia of P/L - 4" CS
Method of laying - open cut / Trenchless

Signature

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज (बरेली)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

(वीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

सेन्ट्रल यू. पी. गैस लिमिटेड
(गैस (इंडिया) लिमिटेड एवं भारत पेट्रोलेियम का समुल्ल उद्यम)



Central U.P. Gas Limited
(A Joint Venture of GAIL (India) Limited and BPCL)

CIN No. U40200UP2005PLC029538

CUGL/MD/POA/

Date: 29.10.2020

AUTHORIZED SIGNATORY

This is certify that Mr. Jitendra Gautam Manager Central UP Gas Limited, Bareilly has been authorized to co-ordinate with Forest Department for obtaining permission for laying of gas pipeline. The signature Mr. Jitendra Gautam Manager is attested below

Ranjan Dwivedi
Managing Director
Central UP gas Limited

Signature of Mr. Jitendra Gautam
Manager, Bareilly
Central UP gas Limited

Ranjan Dwivedi
Managing Director
Central UP gas Limited

Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

हॉल ऑफिस : सी एन जी बिल्डिंग स्टेशन, निक्ट स्टेशन का रोड, फैलोपूर, बड़ौदा रोड, बरेली - 243005, U.P. • टेलीफोन : 9219440921 9219440920 • फैक्स : 9219440921 • वेबसाइट : www.cugl.co.in
Branch Office : ONG Filling Station Near Sandhya Bus Stand, Pilibhit Bypass Road, Bareilly - 243005, U.P. • Tel: 9219440921 9219440920 • Website: www.cugl.co.in

रजिस्टर्ड ऑफिस : सारथी का, एनिलेन/एनिलेन कॉम्प्लेक्स, 2-1-4, लखनपूर, कानपुर - 208024 U.P. • टेलीफोन : 0512-2585001 2583462 • फैक्स : 2582453 • वेबसाइट : www.cugl.co.in
Registered Office : Sarathi ka, Enilene/Enilene Complex, 2-1-4, Lakhnupur, Kanpur - 208024 U.P. • Tel: 0512-2585001 2583462 • Fax: 2582453 • Website: www.cugl.co.in

2

प्रभावित संरक्षित वन भूमि का विवरण

क्रमांक	रेंज का नाम	मार्ग का नाम	प्रभावित वन भूमि
01	बरेली तथा फरीदपुर	बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग(11300मी0) सीएनजी सुविधा	11300 x 0.55 मी =0.6215 हे0 ।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज (बरेली)


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली


(जितेन्द्र गौतम)
मेनेजर
सेन्ट्रल यूपी गैस लि0

Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly


(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

2

प्रभावित संरक्षित वन भूमि का विवरण

क्रमांक	रेंज का नाम	मार्ग का नाम	प्रभावित वन भूमि
01	बरेली तथा फरीदपुर	बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग(11300मी0) सीएनजी सुविधा	11300 x 0.55 मी =0.6215 हे0 ।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज (बरेली)


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली


(जितेन्द्र गौतम)
मेनेजर
सेन्ट्रल यूपी गैस लि0

Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Barcilly


(रीका भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत पाईप लाईन बिछाने हेतु अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की माँग न्यूनतम है।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज (बरेली)


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली


(जितेन्द्र गौतम)
मेनेजर
सेन्ट्रल यूपी गैस लि०

Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Barcilly


(पौखा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

5

Undertaking

I/We hereby undertake that application for Noc from NHAI has been submitted in concerned office & it will be submitted to Forest Department and DM office at the time of submitting hard copies.

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज (बरेली)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

(Jitendra Gautam)
Manager
Central U.P. Gas Ltd.

Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

(रीखा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

August 23, 1955

No. 3208/XIV- Whereas the Governor, Uttar Pradesh is of the opinion that the making of enquiry and record contemplated under sub-section(3) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act no. XVI of 1927), will occupy such length of time as in the meantime to endanger of the rights of the State Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to the aforesaid sub-section and by sub-section(1) of the said section, read with section 80-A of the aforesaid Act, he is pleased to declare that pending such enquiry and record, the provisions of Chapter IV of the said Act shall be applicable to the lands specified in the Schedule hereto :

Schedule

Sl. No. Name of land to be declared as protected forest under Chapter IV of the Indian Forest Act	District	Road mileage	Deno-
	M. Sur.	Sq. M.	of land
1- XXX	XXX	XXX	
6- Lucknow-Bareilly Road from mile 0/0 to mile 152	Lucknow, Sitapur, Shahjahanpur & Bareilly	152 0 0	The land has been demarcated on the ground and by stone or concrete pillars on boundary lines.
13- Meerut-Bareilly (excluding Rampur State) Road from mile 34/0 to mile 86/5- 300ft. and from 106/7 68ft. to mile 129/0.	Moradabad & Bareilly	74 6 222	-Ditto-
14- Bareilly-Mathura Road from mile 0/0 to mile 50/0	Bareilly & Badaun	50 0 0	-
15- Bareilly-Almora Road from 0/0 to mile 63/0	Bareilly & Nainital	63 0 0	-
16- Bareilly-Pilibhit Road from 0/0 to mile 33/0	Bareilly & Pilibhit	33 0 0	-
12- (a) Joya-Bijnor Road from Moradabad & Bijnor mile 12/0 to mile 78/6	Moradabad & Bijnor	45 6 0	-
(b) Bijnor-Raeoli Road from mile 0/0 to mile 7/0	-Ditto-	7 0 0	Ditto.

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज (बरेली)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

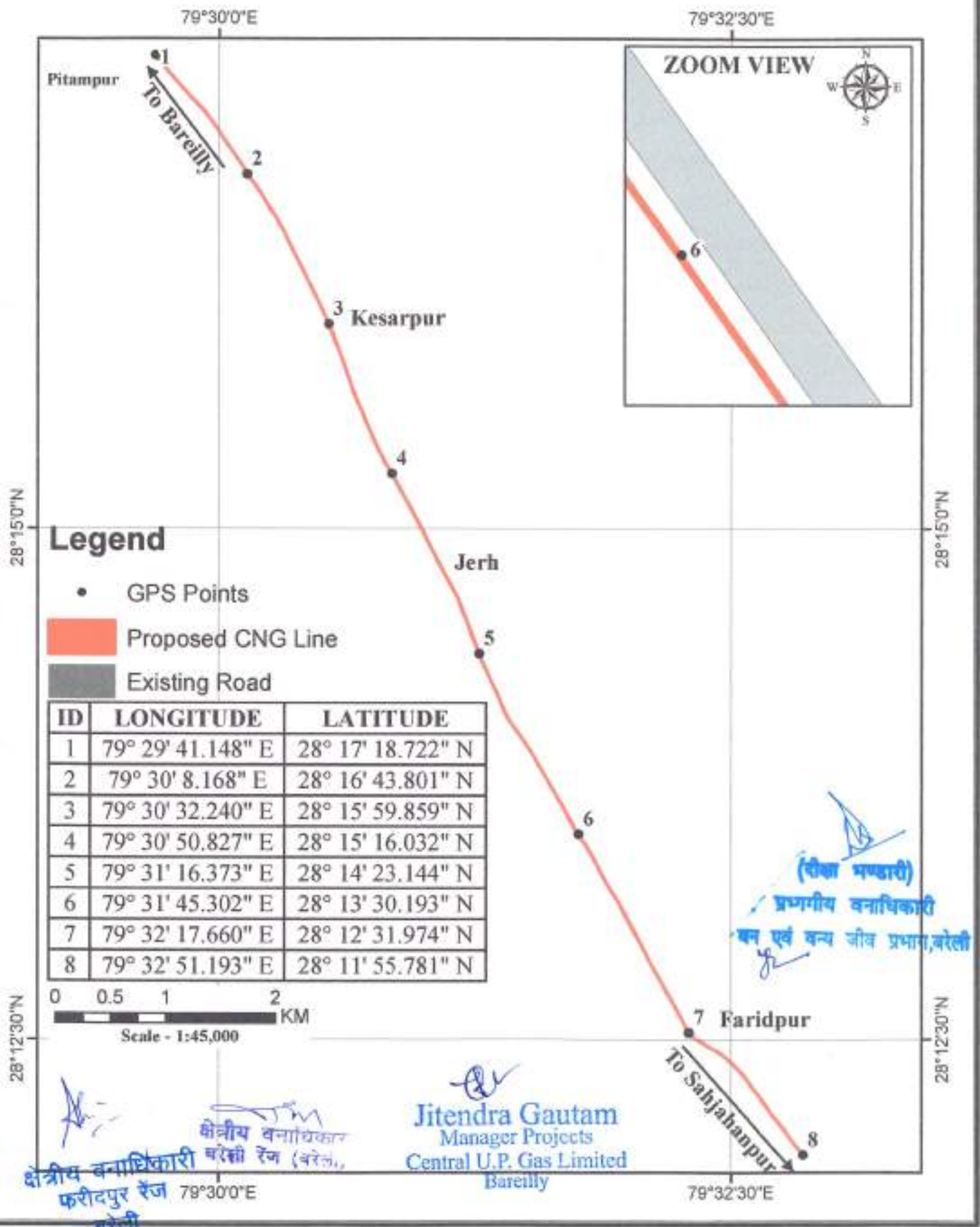
Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

(रीका भण्डारी)

प्रभगीय वनाधिकारी

वन एवं वन जीव प्रभाग, बरेली

Geo Refferenced Map for laying of 4" dia CS and 125 mm dia MDPE Gas Pipeline in the same trench along the Bareilly-Shahjahanpur Road NH-30 (Ch. 260.300 to 271.600) for approx 11300mtrs in Kaccha area for CNG/PNG supply to customers nearby in Distt Bareilly



संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 04.07.2024 को जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग(11300मी0) , चैनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम0एम0(5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम0डी0पी0ई0 गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.6215 हे0 संरक्षित वन भूमि का निरीक्षण प्रस्तावक विभाग के श्री जितेन्द्र गौतम, मेनेजर, सेन्द्रल यूपी गैस लिमिटेड, एवं क्षेत्रीय वनाधिकारी, बरेली, प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली द्वारा किया गया। जिसमें जनपद बरेली में संरक्षित वन भूमि 0.6215 हे0 प्रभावित हो रही है एवं वृक्षों का पातन निहित है।

निरीक्षण में पाया गया कि प्रभावित क्षेत्र में पुरातात्विक महत्व/हेरीटेज स्थल/रक्षा संस्थान अथवा महत्वपूर्ण स्मारक स्थल नहीं है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कोई दुर्लभ / संकटापन्न एवं कोई विशिष्ट पादप अथवा जीव प्रजाति नहीं पायी जाती है। प्रस्तावित कार्य हेतु संरक्षित वन भूमि की मॉग न्यूनतम एवं अपरिहार्य है एवं इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। प्रस्तावक द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(जितेन्द्र गौतम)
मेनेजर
सेन्द्रल यूपी गैस लिमिटेड
Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

(क्षेत्रीय वनाधिकारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
बरेली।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज (बरेली)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal number **FP/UP/Pipeline/147376/2021** has been received by this office from **Mr. Jitendra Gautam Manager Projects, Central UP Gas Ltd., Bareilly** (project proponent) for diversion (under FCA 1980) of **0.6215 Hectares** of Forest land for non-forestry purpose. The Subject envisages the use of forest land for **Permission for laying of 4" dia CS and 125 mm dia MDPE Gas Pipeline in the same trench along the Bareilly-Shahjahanpur Road NH-30 (Ch. 260,300 to 271,600) for approx 11300mtrs in Kaccha area for CNG/PNG Supply to Customers Nearby in Distt. Bareilly.** The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me along with **Mr. Jitendra Gautam Manager Projects, Central UP Gas Ltd., Bareilly., SDO Bareilly & Aonla , Range Officers Bareilly, Faridpur** and concerned forest range staff on dated **04-07-2024** . On inspection of the site, it is found that land required by the user agency is approx. **0.6215 hectares Protected Forest.**

The requirement of forest land as proposed by the user agency in col. 2 part- 1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/ endangered/ unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of:- **No records available.**

Whether any protected archeological/ heritage site/ defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC for competent authority, if required: - **No**

- a. The user agency has not violated the provisions of **Forest Conversation Act-1980** and no work has been started. :- **Yes**
- b. It has been found that the user agency has violated the forest (Conversation), Act 1980 provisions. A detail report as per Para 1.9 of chapter-I, Para-C of Handbook of forest (Conversation) Act 1980 is attached :- **Nil**
- c. Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal :-

Since the user agency has proposed approx. **0.6215 hectares Protected Forest** for diversion wherein the use of forest land is for **Permission for laying of 4" dia CS and 125 mm dia MDPE Gas Pipeline in the same trench along the Bareilly-Shahjahanpur Road NH-30 (Ch. 260,300 to 271,600) for approx 11300mtrs in Kaccha area for CNG/PNG Supply to Larger Local Population in Distt. Bareilly.,** which is a public utility, the proposal is recommended for acceptance in public interest.



Place: - Bareilly

Dated: - 14-07-2024.

[Signature]
14/07/2024
Divisional Director
Social Forestry Division
Bareilly

Net Present Value (NPV) Calculation for Proposed Forest Land

Name :- Permission for laying of 4" dia CS and 125 mm dia MDPE Gas Pipeline in the same trench along the Bareilly-Shahjahanpur Road NH-30 (Ch. 260.300 to 271.600) for approx 11300mtrs in Kaccha area for CNG/PNG Supply to Customers Nearby in Distt. Bareilly.

NPV Calculation is below for proposed Forest land

Proposed Forest Land For Diversion (ECo Class -III and Forest Density is 0.2)= 0.6215 Ha. Net Present Value NPV Rate = Rs. 957780.00

Calculated NPV of Proposed Forest Land = Rs. (0.6215 x 957780) = 595260.27

Or Say = 595260.00

Place : Bareilly

Date :


 (पीका भण्डारी)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली


(18) 12/

प्रस्तावित वन-भूमि को शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा करने की वचनबद्धता
का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या- एफ0एन0 5-3/2007 (एफ0 सी0, डिबीजन) दिनांक 05.02.2009 द्वारा 30 वर्षों के लिए वन भूमि के हस्तान्तरण/गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्धारित नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी0) दरों के अनुसार घनराशि को सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड द्वारा वन विभाग को ई-पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान द्वारा माध्यम से भुगतान कर दिया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त दरों में बढ़ोत्तरी होने पर भी घनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा।



(जितेन्द्र गौतम)

मेनेजर इन्चार्ज

सेन्ट्रल यूपी गैस लि0, बरेली



क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज (बरेली)



क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

Jitendra Gaitam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly



(दीक्षा भण्डारी)
प्रभगीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

मानक शर्तें

(वन अनुभाग-3, उ० प्र० शासन की पत्र संख्या 7314/14-3-1980/82 दि. 31.12.84 द्वारा निर्धारित)

- 1- भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
- 2- प्ररनगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
- 3- याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
- 4- भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि माँगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
- 5- हस्तान्तरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगा और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
- 6- भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देखरेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनायी गयी मुदरों आदि का भी देखभाल करेगा।
- 7- हस्तान्तरित वन भूमि पर विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 8- बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्र का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाय। अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ण एवं वन्य जन्तुओं से स्वच्छन्द विचरण की अवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
- 9- सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नहरियों/पट्टों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
- 10- याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन में करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकार का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता, याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि Automatic स्वतः बिना किसी प्रतिकार का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगा।
- 11- सड़क निर्माण के प्रस्ताव पर एलाइन्मेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा। अधीक्षण अभियन्ता "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र, पौड़ी को सम्बन्धित पत्र संख्या 608/सी दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा जैसे कि अर्थ मार्ग बनाना, वन मार्गों का मामूली फेर बदलकर पक्का करना होगा, बशर्तें ऐसा करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न हो और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक हो।
- 12- वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
- 13- वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन विभाग अथवा वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे, द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज (बरेली)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

(रीक्षा भण्डारी)
प्रणगीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

- 14- हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किये जायें, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30° से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है इसी प्रकार बीज के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
- 15- वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
- 16- यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की सम्भावना होती है, और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग अपने व्यय से स्वयं करायेगा।
- 17- उपरिलिखित मानक कार्यों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो वह याचक विभाग को मान्य होगी।
- 18- वन विभाग का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा लिखित रूप से आश्वासन प्राप्त हो जाये।
- प्रमाणित किया जाता है कि सेंट्रल यूपी गैस लि०, बरेली को उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्तें मान्य हैं तथा इनका अनुपालन किया जायेगा।

तिथि: / / 2021
स्थान:


(जितेन्द्र गौतम)
मेनेजर इन्चार्ज
सेन्ट्रल यूपी गैस लि०, बरेली


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज (बरेली)


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly


(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

15

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग(11300मी०) , चैनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम०एम०(5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम०डी०पी०ई० गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत आवेदित वन भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज (बरेली)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

(जितेन्द्र गौतम)
मेनेजर

सेन्ट्रल यूपी गैस लि०

Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Barcilly

(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागिय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

(12)

प्रस्तावित स्थल से राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग(11300मी०) , चैनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम०एम०(5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम०डी०पी०ई० गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्तावित स्थल किसी भी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य/वन्यजीव गलियारा/पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। गैस पाईप लाईन बिछाने के कार्य हेतु प्रस्तावित स्थल से निकटतम राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी लगभग 50 किमी० है।



(जितेन्द्र गौतम)

मेनेजर

सेन्ट्रल यूपी गैस लि०

Jitendra Gautam

Manager Projects

Central U.P. Gas Limited

Bareilly

(~~1~~/~~1~~/~~1~~)

प्रभागीय निदेशक,

सा० वा० प्रभाग, बरेली।



उप-विवक्षणीय वनाधिकारी
बरेली रेंज (बरेली)



क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली



(रीखा भण्डारी)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली



(17) L

भू वैज्ञानिक/योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स/जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग(11300मी०) , चैनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम०एम०(5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम०डी०पी०ई० गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु भू वैज्ञानिक/योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स/जिला टास्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों/शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान सेन्ट्रल यूपी गैस लि० द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।



(जितेन्द्र गौतम)
मेनेजर
सेन्ट्रल यूपी गैस लि०

Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly



प्रभागीय निदेशक,
सा० वा० प्रभाग, बरेली।



क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज (बरेली)



क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली



(वीरेंद्र भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

(18)

वन स्वरूप भूमि प्रभावित न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग(11300मी०) ,
चैनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम०एम०(5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं
एम०डी०पी०ई० गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है।
उक्त के अतिरिक्त परियोजना में चिन्हित वन स्वरूप की कोई भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।



(जितेन्द्र गौतम)

मेनेजर

सेन्ट्रल यूपी गैस लि०



सा० वा० प्रभाग, बरेली।

Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly



क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज (बरेली)



क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली



(रीसा भण्डारी)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

19

लीज तथा लीज अवधि प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सेन्ट्रल यूपी गैस लिमिटेड द्वारा गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु वांछित भूमि लीज पर हस्तान्तरित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः लीज अवधि प्रमाण पत्र लागू नहीं होता है। प्रस्तावित वन भूमि केवल प्रस्ताव के अनुसार 0.6215 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि, जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग(11300मी०) , चैनेज 260.300 से 271.600 तक आवश्यक है।



क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज (बरेली)



क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
गरेली



(जितेन्द्र गौतम)
मेनेजर
सेन्ट्रल यूपी गैस लि०

Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly



(संजय उपध्याय)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

लाभान्वित होने वाली आबादी से संबन्धित प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग(11300मी०) , चैनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम०एम०(5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम०डी०पी०ई० गैस पाईप लाईन का मुख्य लाभ बरेली की जनता मार्ग पर चलने वाले वाहनों को सक्षम सीएनजी सेवायें प्रदान करना होगा। इस परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण लागू नहीं है।


 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 बरेली रेंज (बरेली)


 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 फरीदपुर रेंज
 बरेली


 (जितेन्द्र गौतम)
 मैनेजर
 सेंट्रल यूपी गैस लि०

Jitendra Gautam
 Manager Projects
 Central U.P. Gas Limited
 Bareilly


 (दीक्षा भण्डारी)
 प्रभगीय वनाधिकारी
 वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग(11300मी0) , चैनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम0एम0(5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम0डी0पी0ई0 गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.6215 हे0 संरक्षित वन भूमि पर निर्माण कार्य के दौरान किसी भी प्रकार का मक/वैस्ट/सामग्री/मलवा निस्तारण/मिटटी खुदान कार्य प्रस्तावित नहीं है। अतः उक्त परियोजना हेतु मक डिस्पोजल योजना अनुमन्य नहीं है।

Disposal / Management Plan

While preparing FCA case, if there is any activity in the project which involves digging of land, muck disposal/management plan has to be prepared.

Should include:-

1. Calculation of muck to be generated self factor has to be applied NA
2. Quantity of muck to utilized in the project activities NA
3. Balance quantity of muck. Which requires disposal/management plan? NA
4. Carriage of muck from the muck generation site in the dumping site. NA
5. Ownership of land and the consent of land owner, in case muck disposal on no forest land. NA
6. Photograph & carrying capacity of proposed dumping site (muck disposal site) NA
7. Development of dumping site-construction of retaining walls and other structure as per requirement of the
8. Rehabilitation of dumping site like leveling planting of grass, shrubs and tree muck. NA

After construction work of approach road will be done

Cost to be incurred in the above activities has to be given component wise. Details of dumping site including length, width and height of structures to be exacted must be mentioned.

Undertaking be user agency has to be given to the effect that:

- 1- Muck management plan will be implemented by the user agency and in case of non implementation of the
- 2- The proposed dumping site is located away from river/stream/nala


क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज (बरेली)


(जितेन्द्र गौतम)
क्षेत्रीय वनाधिकारी मेनेजर इन्चार्ज
फरीदपुर रेंजसेन्ट्रल यूपी गैस लि0, बरेली
बरेली

Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly


(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

Government of Uttar Pradesh
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE BAREILLY

No.

Date-

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MOEF) , Government of India's letter No. 11-9/98-FC dated 28th Oct'2014 in respect of linear projects, it is certified that 0.6215 hectares of Proposed Protected Forest Land to be diverted for laying of 4" dia CS and 125 mm dia MDPE Gas Pipeline in the same trench along the Bareilly-Shahjahanpur Road NH-30 (Ch. 260.300 to 271.600) for approx 11300mtrs in Kaccha area for CNG/PNG Supply to nearby Customers.
(Online Proposal No. FP/UP/Pipeline/147376/2021)

It is further certified that:

" The above 0.6215 hectares forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest" less than 75 year prior to the 13th day of December 2005 and is located at laying of 4" dia CS and 125 mm dia MDPE Gas Pipeline in the same trench along the Bareilly-Shahjahanpur Road NH-30 (Ch. 260.300 to 271.600) for approx 11300mtrs in District- Bareilly, (UP) having no recorded population of Schedule Tribes as per Census 2001 and the Census 2011 and no claim of any tribal of forest dweller is pending over the proposed 0.6215 hectares forest land. It is further certified that the proposal does not involve recognized Right of Primitive Tribal Groups and Pre Agriculture communities."

(Diksha Bhandari)
Divisional Director
Social Forestry Division

(Ravindra Kumar)
District Collector
Bareilly

(232)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग(11300मी०) , चैनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम०एम०(5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम०डी०पी०ई० गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत भारत सरकार/उ०प्र० शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

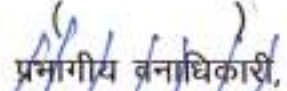


(जितेन्द्र गौतम)

मेनेजर

सेन्ट्रल यूपी गैस लि०

Jitendra Gautam
Manager Projects
Central U.P. Gas Limited
Bareilly

()
प्रमाणिक वनाधिकारी,

वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।



क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज (बरेली)



क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली



(सीमा भण्डारी)

प्रमाणिक वनाधिकारी

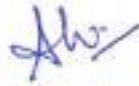
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

प्रातिपूरक वनीकरण करने सम्बन्धी वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता के रूप में कम्पनी द्वारा उक्त सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त राज्य या भारत सरकार या मा0 न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण रूपेण अनुपालन भी किया जायेगा।



क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज (बरेली)



क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली



(जितेन्द्र गौतम)
मेनेजर इन्चार्ज

सेन्ट्रल यूपी गैस लि0, बरेली

Jitendra Gautam
Manager Project
Central U.P. Gas Ltd.
Bareilly



(सैफा भण्डारी)

प्रभगीय वनाधिकारी

वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली



28

ROW प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में BAREILLY-SHAHJANPUR मार्ग (1300 मी०) चैनेज 260.300 से 271.600 तक, 4 इंच एवं 125 एम०एम० व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम०डी०पी०ई० गैस पाईपलाईन बिछाये जाने का कार्य पूर्व में डाइवर्टेड वन क्षेत्र के ROW के अन्तर्गत किया जाना है, File No. FC-11/165/2019-FC Dated 27th July 2020 (Copy Enclosed) के अनुसार CA लागू नहीं होता है।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज (बरेली)


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली


प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सी०यू०जी०एल०


(रीखा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

Mitendra Gautam
Manager Project
Central U.P. Gas Ltd.
Bareilly

(रीक भण्डारी)
प्रभगीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, वरेली

PRINTED AT THE WESTERN PRINTING HOUSE OF SURVEY OF INDIA.